

प्रेस नोट  
थाना गरौठा

दिनांक 29.08.2024

**अवैध असलहा-कारतूस के साथ एक अभियुक्त को थाना गरौठा पुलिस द्वारा  
गिरफ्तार किया गया**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना गरौठा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त रमाकान्त राजपूत पुत्र भगवान सिंह राजपूत नि० ग्राम सिमरधा थाना गरौठा जनपद झाँसी उम्र करीब 23 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 बोर देशी नाजायज के साथ ग्राम सिमरधा जनपद झाँसी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गरौठा पर मु०अ०स० 170/24 धारा धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**बरामदगी-**

एक अदद तमंचा 315 बोर देशी नाजायज

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक एवं समय-** बहद ग्राम सिमरधा थाना गरौठा, 28.08.2024 को समय करीब 22:45 बजे

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ०नि० श्री दिनेश कुमार गिरी थाना गरौठा जनपद झाँसी
2. उ०नि० श्री शशांक सिंह थाना गरौठा जनपद झाँसी
3. का० 247 विजय कुमार सविता थाना गरौठा जनपद झाँसी